"विश्व निवेशक सप्ताह - 2023" के अवसर पर सेबी की अध्यक्ष सुश्री माधबी पुरी बुच का संदेश

सेबी का यह मानना है कि जानकार निवेशक ही सुरक्षित निवेशक होता है । यही कारण है कि सेबी निवेशक संरक्षण की दिशा में हमेशा ही निवेशकों को जागरूक करने और उन्हें शिक्षित करने के प्रयास में जुटा रहता है ।

प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज मार्केट) का विनियामक (रेग्यूलेटर) होने के नाते सेबी के ये तीन मुख्य उद्देश्य हैं - बाजार का विकास करना, उसे विनियमित (रेग्यूलेट) करना और निवेशकों के हितों का संरक्षण करना । इसलिए सेबी का हमेशा यही प्रयास रहा है कि प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के जरिए पैसा जुटाने की प्रक्रिया भी सहज हो पाए और निवेशकों का भरोसा भी कायम रहे । इसके मद्देनज़र, सेबी ने कई कदम उठाए हैं, जैसे निवेश करने की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है, बाजार को और अधिक पारदर्शी बना दिया गया है, तकनीक का बढ़-चढ़कर इस्तेमाल होने लगा है और निवेशकों के लिए शिकायत निवारण की व्यवस्था और अधिक कारगर बना दी गई है । पहले की तुलना में अब निवेशकों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, रोजाना होने वाले लेनदेनों में काफी इजाफा हो रहा है, और इतना ही नहीं म्यूचुअल फंडों के जरिए निवेश भी काफी बढ़ रहा है । इस तरह से भारत के प्रतिभूति बाजार का तेजी से विकास हो रहा है, और इसीलिए अब यह और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि निवेशकों को और अधिक जागरूक किया जाए और साथ ही साथ उन्हें अब और ज्यादा जानकारी मिले ।

यदि बाजार में पैसा सही तरीके से अलग-अलग प्रोडक्ट में योजनाबद्ध तरीके से लगाया जाए, तो लंबे समय में निवेशकों को अच्छा मुनाफा हो सकता है । फिर भी, निवेशकों को यह समझना होगा कि बाजार में जोखिम तो होता ही है, और इसलिए निवेशकों को इस बात के मद्देनज़र निवेश करना चाहिए कि वे कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं और वे कितना जोखिम उठा सकते हैं । यह समझना बेहद जरूरी है कि यदि कोई मुनाफों को लेकर बढ़ा-चढ़ाकर दावे करता है अथवा बिना मांगे या मुफ्त में ही निवेश की कोई सलाह देता है, तो ऐसा करके वह न केवल कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि उसका मंसूबा भी उनके साथ धोखाधड़ी करने का होता है । निवेश करते समय निवेशकों को निवेश के इन मूलभूत सिद्धांतों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जैसे उन्हें अपना सारा पैसा एक ही जगह निवेश नहीं करना चाहिए; निवेश सही तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से करना चहिए; यह भी देख लेना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मुनाफा कितना बनेगा; आदि-आदि ।

बाजार में लगातार नई-नई तकनीकें आ रही हैं और सोशल मीडिया का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में निवेशकों के लिए यह जरूरी है कि वे ऐसा पासवर्ड बनाएँ जिसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल हो; अपनी निजी और वित्तीय जानकारी किसी से ऑनलाइन साझा न करें; और आज के इस डिजिटल दौर में यदि उन्हें निवेश से जुड़ी कोई जानकारी मिले, तो वे उसकी पुष्टि किए बिना निवेश न करें ।

सेबी निवेशकों में जागरूकता लाने के लिए देशभर में वित्तीय शिक्षण और निवेशक जागरूकता से संबंधित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है और साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा भी लेता है । इसी दिशा में, सेबी प्रत्येक वर्ष "विश्व निवेशक सप्ताह" मनाता है । "विश्व निवेशक सप्ताह" की शुरूआत आयस्को ने की है, जिसे अब दुनियाभर में निवेशक, मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) और विनियामक (रेग्यूलटेर) मनाते हैं ।

इस वर्ष हम 09-15 अक्तूबर 2023 के दौरान विश्व निवेशक सप्ताह-2023 मना रहे हैं । विश्व निवेशक सप्ताह-2023 का विषय है - ***"समझदार निवेशक बिना माँगे दिए गए निवेश-प्रस्ताव के आधार पर निवेश नहीं करता"*** ।

निवेशकों को और जानकार बनने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से देशभर में निवेशक जागरूकता से संबंधित तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे । इनमें शामिल हैं - निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, डिजिटल मीडिया अभियान, ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन, नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, आदि ।

मुझे पूरा यकीन है कि इन जागरूकता कार्यक्रमों की मदद से निवेशक यह समझ पाएँगे कि निवेश करते समय उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए; पूरी जाँच-परख करके ही निवेश करना चाहिए; और उन्हें ऐसी स्कीमों के झांसे में नहीं आना चाहिए जो उन्हें रातोंरात अमीर बनाने के ख्वाब दिखा रही हों ।

मेरी यह कामना है कि आप सभी सोच-समझकर और योजनाबद्ध तरीके से निवेश करेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ....

(माधबी पुरी बुच)